SHRI OM MEHTA: Kashmiri apples are rare sometimes.

We have noted whatever he has said about these arms and hand granades and we will try to find out what are their sources and leakages. And then you, Sir, when you were there, referred to some talk regarding certain clues with the police and that they have also pointed out something, about some threatening letters. At this stage, I would only like to inform this House that the Chief Justice had received a threatening letter some time towards the end of January last. But he did not take any notice of that. He has, however, handed over it to the police after the last evening's incident. I will not like to say anything beyond this just now because it will affect the course of the investigation.

SHRI BHUPESH GUPTA: We have made a request to you for a discussion also. The discussion should be held. In the Lok Sabha, they have already agreed to it. We have given an ordinary motion, a 'No-day-yet-named Motion'. I think it should be accepted. In the other House, it is being discuss-Do not debar discussion on the ed. ground that we are adjourning. We will sit, we will find time during this session in order to have this matter discussed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): We will consider it.

SHRI BHUPESH GUPTA: I hope the Minister of Parliamentary Affairs will accommodate us.

MESSAGES FROM THE LOK SABHA

- I. The Pondicherry Appropriation Bill, 1975
- **II.** The Pondicherry Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975

SECRETARY-GENERAL: Sir. τ have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:---

(1)

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Pondicherry Appropriation Bill, 1975, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 20th March. 1975.

2. The Speaker has certified that this Bill is a money Bill."

(2)

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Pondicherry Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 20th March, 1975.

2. The Speaker has certified that this Bill is a money Bill."

Sir, I lay a copy of each of the Bills on the Table.

RE NECESSARY RESOLUTION STEPS TO CHECK THE EVER-IN-**CREASING USE OF MONEY POWER** AND MISUSE OF GOVERNMENT MACHINERY IN ELEC-TIONS-Contd.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (उत्तर प्रदेश) : उपसभाषति जो, निर्वाचन प्रणाली में मुधार सम्बन्धो विवेयक पर अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत जरने में पूर्व मैं इस बात पर विशेष रूप से बल देना चाहता हूं कि इस पर दलीय स्तर से ऊपर उठ कर विचार किया जाए। कारण यह भी है कि इस निर्वाचन प्रणाली में सुधार के लिए प्रायः प्रत्येक राजनोतिक दल--सत्ताधारो दल में भी मेरा अभिप्राय है - मभी ने इसमें सुधार की अपेक्षा की है। अभो कुछ दिन पहले जब दोनों सदनों के संयुक्त अधि-वैशन का प्रारंभ हुआ तो राष्ट्रपति जो ने भी अपने भाषण में इसकी चर्चा की और प्रधान मंत्री ने भो दो तोन स्थानों पर इसके सम्बन्ध में वक्तव्य दिये हैं। अगर हमारे कांग्रेसी मित्र इस बात को मून कर बिदकें नहीं तो श्री जयप्रकाश

[21 MAR. 1975] misuse of Govt. machinery 154 in elections

153 Re.steps to Check the use of money and

नारायण को समग्र कान्तो में भो निर्वाचन प्रणाली में सुधार को विशेष रूप से सम्मिलिन किया गया है। अभो श्रो तारपुडे की अध्यक्षता एक समिति का निर्माण किया गया में उसने अपना प्रतिवोदन भी दे दिया है । कुछ समय पहले दोनों सदनों को एक संयुक्त प्रवर समिति इसके लिए बैठी थीं। उसने भो अपने कुछ मुझाव निर्वाचन प्रणालो में सुधार के लिए दिए हैं । उनमें कुछ सुझाव सर्वसम्मत भो है। अभो हाल हो में सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णय इस प्रकार के हुए हैं जिनको देखने से पता लगता है कि निर्वाचन प्रणालो में हमारे लिए मुवार बहुत आवश्यक हो गया है। विधि आयोग के भो कुछ सुझाव इस प्रकार के थे जिससे प्रतोत होता है कि वे भो इसे चाहते हैं कि निर्वाचन प्रणालो में सुधार होना चाहिए । एक प्रकार से यह स्वोकृत तथ्य है कि निर्वाचन प्रणालो से संबंधित जितने भो राजनोतिक पक्ष हैं, प्रशासनिक पक्ष हैं उन सभो को इच्छा है कि निर्वाचन प्रणालो में अपेक्षित सुधार किए आएं । निर्वाचन प्रणालो निष्पक्ष होनो ही प्ररूरो नहों है निर्वाचन प्रणालो को निष्वक्ष झलकना भो जरूरो है।

पिछले कई वर्षों से चुनाव पद्धति को लेकर देश में कई तरह को आशंकाएं व्याप्त हो रही हैं। मेरा अपना अनुमान है कि अगर किसो दिन इस चुनाव पद्धति से जन-साधारण को विश्वास उठ गया तो हमारे प्रजातंत्र के इतिहास में वह बडा दुर्भाग्य का दिन होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी तो बेटो बाप के घर है, अभी कुछ अधिक बिगड़ा नहीं है इसलिए इस पद्धति में अभो भो जितना जल्दो हो सके, सुधार कर लिया जाए ।

मैं अपने सुझावों का प्रारंभ करना चाहता मतदान को आयु 21 वर्ष से घट कर 18 वर्ष करने से । इसके संबंध में मेरो युक्ति यह है कि जब सरकारी नौकरियों में प्रवेश का अधिकार 18 वर्ष के व्यक्ति को मिल गया है , लाखों करोड़ों की सम्पत्ति को वेचने और खरीदने का अधिकार कान् तो उनकी देरखा है, विवाह का अधिकार उनको है, सेना में वे भर्ती ही मजता है। कोई भी 18 वर्ष का व्यक्ति सेना में भर्ती हो सकता है और तोन वर्ष के बाद वह अधिकारो हो सकता है, सेना को कमाण्ड कर सकता है, आदेश दे सकता और मोर्चे पर जा कर अपनो ान दे सकता है, लेकिन उसका यह दुर्भाग्य है कि हमारो प्रजातंत्रो पढति मे मतदान में भाग नहीले सकता.

लगभग 9 करोड़ इस प्रकार के युवक इस देश में हैं जो सरकार का इस प्रकार का निर्णय न होने के कारण से आज मतदान से वचित हैं। सरकार इसके विरोध में, जैसा मैने सुना है, तोन बातें विशेप रूप से कहती है।

एक तो उननः कहना यह है कि अगर 18 वर्ष तक को आयु तक के युवकों को मतदान का अधिकार दे दिया जाए तो उनको संख्या बढ़ जाने से खर्चा बहुत बढ़ जाएगा । दूसरे दलोल यह देत है कि अधिकाश युवज जो गांव में रहने वाले है, अशिक्षित है वे मत का सही उपयोग नहीं कर सकते । और तोसरो दलोल उनकी यह है कि उत्तरदायित्व को समझने में उनके अंदर कमो है ।

अगर यह बातें सहो है, जैसा मैने सुना है,तो मैं समझता हूं कि तोनों दलीलें बड़ी (लचर) है। जहां तक इस बात का प्रब्न है कि संख्या वढ जाने से व्यय बढ़ जाएगा तो यह एक लोक तंत्रोय पद्धति का नियम है कि जिस को आप मत का अधिकार देंगे उसके लिए आपको व्यय की व्यवस्था करनो हो पड़ेगो, जहां तक यह सवाल है कि युवा पोढ़ो गांवों में रहने वालो अशिक्षित है और वह सहो मतदान का सहो उपयोग नहीं कर सकतो तो मेरा कहना है कि अगर इस युक्ति को मान लिया आए तो जो वृद्ध वर्ग है, अशिक्षित है वह कै से मतदान का सही उपयोग करता है । जहां तक उत्तरदायित्व की कमी का सवाल है तो मेरा कहना यह है कि यह जिम्मेदारी भी सरकार की है। वह क्या

[RAJYA SABHA]

॥se of money and [श्री प्रकाशवीर शास्त्री] नहीं अभी तक इस पीढी को। इस योग्य बना पाई कि वह अपने उत्तरदायित्व को निभा सके।

पाई कि वह अपन उत्तरदायित्व का निभा सका आपसे मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक आप किसी के कंधे पर बोझ न रखेंगे तब तक वह अपने कंधे पर बोझ सहना किस प्रकार सीखेगा। मैं समझता हूं य उक्तियां जो परस्पर में विरोधी हैं इन पर विचार करना चाहिए।

इस प्रजातंत्रोय चुनाव प्रणाली के ऊपर कुछ और देशों में भो परोक्षण हुआ है। उनमें कई देश इस प्रकार के हैं जे 18 वर्ष को आयु के युवक को भतदान का अधिकार दे चुके हैं। उनमें ब्रिटन है, अमरोका है, युगोस्लाविया है, पूर्वी जर्मनो है, रोमानिया है, आस्ट्रेलिया है। चुनाव के ढंग का तो मुझे पता नहीं लेकिन हमारो सरकार का जो मित्र राष्ट्र है रूस, उसने भो 18 वर्ष के आयु के व्यक्ति को मतदान की अधिकार दिया हुआ है फिर मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि भारत वर्ष में 18 वर्ष की आयु के युवक को मतदान का अधिकार देने में क्यों हिचक की जा रही है।

मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि आज की युवा पीढ़ी बेरोजगारो, भ्रष्टाचार, महंगाई और भाई-भतोजावाट को शिकार है और अगर देर तक उसको मतदान से वंचित रखा गया तो इस की प्रतिक्रिया उनमें किस प्रकार उभरेगी, इस का अनुमान मैं आसानी से नहीं लगा सकता । आप और हम सब को मिल कर इस संबंध में सोचना चाहिए ।

दूसरो बात, चुनाव प्रणालो में सुघार के लिए भ्रष्ट आचरण को कहना चाहता हूं। उप-सभापति महोदय, अभो कुछ दिन पहले किसी भ्रष्ट आचरण के सिलसिले में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ प्रमुख व्यक्तियों को दोषी पाया। उनमें आपके राज्य के डा० चेना रेड्डो भो हैं और एंजाब के पिछले मुख्य मंत्री कामरेड रामकृष्ण भी हैं।

misuse of Govt. machinery 156 in elections

मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्रो द्वारिका प्रसाद मिश्र थे। यानी 18 तो व्यक्ति वेहैं जो काउटिंग फीगर हैं, जिनको अंगलियों पर गिना जा सकता है। बाकी हाई कोटों और सुप्रोम कोर्ट में जिनको इस प्रकार के ञ्चच्टा-चारा का दोषी पाया गया उनको संख्या ढ़ाई सौ और तोन सौ के लगभग बैं उती है। ये लोग किस प्रकार के भ्रष्टाचार के दोषी पाये गये हैं, इस बारे में बताया गया है किये लोग सरकारो साधनों का दुरुपयोग करते पाए गय अपने सरकारो पद और अधिकारियों का दुरुपयोग करते रहे, मतदाताओं को प्रभाविन करने के लिये घूस देने के नये-नये ढंग निकालते हैं और व्यय करने के लिए जो सोमा निश्चित है उससे अधिक व्यय करते हैं । अभे कुछ दिन पहले सुप्रोम कोर्ट ने श्री रिजक राम के केस में निर्णय दिया है और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट लिखा है कि श्रो रिजक रान के चुनाव के अन्दर पुलिस का खुल कर प्रयोग किया गया । यह बात सर्वोच्च न्यायालय ने कहो है, मैं नहीं कह रहा हूं। वहां पर पलिस का प्रयोग किया गया । इसो तरह का एक दूसरा केस है जिसमें चोफ जस्टिस हिदायतूल्ला ने अपनानिर्णय दिया है। यह केस था घासो राम बनान डालसिंह का । श्री डालसिंह जब बिजली मंत्री थे और जब वे चुनाव मैदान में आए तो मंत्रियों के पास जो डिसकिशनरी ग्रान्ट अर्थात् स्वविवेकाधीन अनुदान देने की पद्धति होती है, उसका भी दुरुपयोग किया गया ।

श्वी रणबीर सिंह (हरियाणा) : श्री डाल सिंह जब मंत्री थे तो बी० एल० डो० के मेम्बर थे ।

श्वी प्रकाशवीर शास्त्री : मैं अपनो भूल सुधार करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने अपना भाषण प्रारम्भ हो यहां से किया था कि बो० एल० डी०, कांग्रेस, जनसंघ या कम्युनिस्ट पार्टी कोई भो क्यों न,हो, मैं चाहता हूं कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता

वह भ्रष्ट आचरण के अन्तर्गत आता है तो है और इसलिए मैंने प्रारम्भ में कहा कि इस प्रक्न पर दलोय दल्टि में ऊपर उठ कर विचार किया जाय । जिस समय वे बिजली मंत्री थे चौधरो साहब आप भूल गये हैं, वह कांग्रेस के हो सदस्य थे। उस सनय बी० एल० डी० तो गर्भ में भो नहीं आई थी। श्री डाल सिंह के नानले में चीफ जस्टिस हिदायतुल्लाने जो बात कहो है, वह यह है कि इनको भ्रष्ट आचरण का दोषो तो नहीं पाया गया, लेकिन जो डिस-किशनरो ग्रांट होतो है, उसको उन्होंने अपने चनाव क्षेत्र में जाकर व्यय किया । इस निर्णय में चोफ जस्टोस हिदायतूल्ला ने दो बातें लिखो है--- (1) भ्रष्ट आचरण और दूष्ट आचरण उन्होंने लिखा है कि इन दोनों के बोच में एक पतली रेखा है और इस पतलों रेखा के आधार पर मैं उन्हें भ्रष्ट आचरण का दोशी तो नहीं पाता, लेकिन चोफ जस्टीस हिदायतूला ने लिखा है कि जो व्यक्ति जिम्मेतार ओहदो में बैठे हुए हैं उनको इस प्रकार के द्रष्ट आचारण से अपने चाहिए को अन्यथा बचाना और भयंकररूप यह बात आगेचल कर वारण कर सकतो है। लेकिन इस तरह से चुनावों के अन्दर पद का दूरुपयोग हुआ है। राजस्थान के अन्दर भी इस प्रकार के नानले हुएहे । हमारे मित्र श्रो भरों शेखावत ਕੈਠ सिह यहों पर हुए है । इनकी अच्छो तरह से या**द** होगा कि राजस्थान के अंदर मेडता विघान सभा के निर्वाचन में एक सज्जन जो सरकारी दल से संबंधित थे, सुप्रोन कोर्ट में आए । सुप्रोन कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसको मैं पढ़ कर आपको सुनाना चाहता हुं जिससे पता चलेगा कि सरकार) औहदों पर बैठे हुए लोग किस प्रकार से अपने पदों का दुरुपयोग करते है। इससे यह स्पष्ट हो जायेगा और यह भो पता चलेगा कि हमारो चुनाव प्रणालो आज भ्रष्टाचार की ओर तेजो से चली जा रहो है। 'लिफाफे बदल कर ही हेरफोर किया जा सकता था। निर्वाचन अघि-कारी को मुद्रा और लाख बिना कठिनाई के उपलब्ध थी। इस प्रकार रबड़ को मुहरे और

स्थाहो के पर्ड भो उपलब्ध थे। मत-पत्रों में हेर फेर याचिका दायर करने वाले प्रार्थी जो मंत्रि. मंडल के सदस्य थे उनके दराग्रह के बिना नहीं किया जा सकता था। और न हो यह मेडता विधान मंडल क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारो के सकिय सहयोग के बिना संभव हो सकता था जो व्यक्ति नत पत्रों में हेर फेर करने को दूस्साहस कर सकते थे उनके लिए लिफाफे उपलब्ध कर लेना कोई कठिन कार्य नहीं रहा होगा । यह बात सर्वोच्च न्यायालय ने कहो है । अगर जिम्मे-दारियों के औहदों पर बैठे हुए लोग इस प्रकार से भ्रब्ट आचरण करने लगे तो आप बताइये कि सामान्य व्यक्ति इस प्रकार से इन भ्रष्ट आचरणों से बच सकता है ? मेरा कहना यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जब इस प्रकार का निर्णय दिया है तो इस पर थोडा सा गम्भी-रता से सोचना चाहिए । कुछ दिन पूर्व उत्तर प्रदेश में विद्यान सभा के निर्वाचन हए थे। वहां पर इस प्रकार की शिकायत सुनने को भिली कि जाली भत-पत्र पकडे गये और थोडो संख्या में नहीं, वडी संख्या में पकडे गये। गलत ढंग से बाहर से लोगों को बुलाया गया। मत-दाताओं को प्रभावित करने के लिए हरियाणा को सरकार आई. राजस्थान को सरकार आई. भच्य प्रदेश को सरकार आई। हो सकता है कि सनाधारो दल के होने के कारण वे लोग आए हों। लेकिन इन सब बातों के बावजद उत्तर जनता के अपना निर्णय दिया प्रदेश ,की दल के विपरित और सनाधारो विरोधो दलों को 67 মনিহান मत दिये । दर्भाग्य था विरोधी दलो का कि वे 10 यह अगह बंटे हुए थे ; उन 67 प्रतिशत भतों का सही उपयोग नहीं कर सके लेकिन जनता थी उसने सत्ताधारो दल के विपक्ष में निर्णय दिया । अभी हाल में आसाम में बारपेटी के चनाव के अंदर क्या हुआ शाम तक चुनाव में जो प्रत्याशो पहले दिन जोत रहा था--संभवतः आकाशवाणी में हो आपने भी सना उसमें रात्रि के समाचार बुर्लेटिन में आया था कि 28,000 मतों से विरोधी दल का प्रत्याक्षी

misuse of Govt. machinery 160 in elections

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री] अने है---दूसरे दिन आता है कि सत्ताधारी दल का प्रत्याशो 40,000 से अधिक मतों से जोत जाता है। अब क्या हुआ क्या रात के रात करिष्मा आ, हम नही जानते । लेकिन वहो सज्जन जो विरोधो दल के प्रत्याशो थे, श्रो अयप्रकाश नारायण से मिलने आ रहे थे। तो उनके हाथ में जालो मत पत्रों का वण्डल था जो वह दिखाने जा रहे थे, उनको हवाई अड्डे पर गिरफुतार करके पूलिस ले गई । मैं जानना चाहता हूँ इस समाचार में सत्यता कहां तक है, कहां तक नहीं है ? जरा श्री गोखले साहब इसको สิลิ में जाकर विचार करें कि आगर हमारी चनाव प्रणालो इसो तरह से दुषित होता चली जाएगी तो एक समय आएगा अब प्रजतिंत्र को आधारभूत चुनाव पद्धति से लोगों का विश्वास उठता चला आएगा।

तंत्र के दुरुपयोग को भो कुछ सरकारो चर्चा मै करना चाहता हूं। एक तो आकाशवाणो का दूरुपयोग चुनाव के समय किस प्रकार से किया जाता है, वह है, दूसरे जो विमान है, हैलिकाप्टर हैं, गाडियां है, उनका किस प्रकार से दूरुपयोग किया जाता है। तोसरा रूप यहे है कि कहीं कारखानों को नींव रखो जा रहो है, कहीं रेल्वे लाईनों को बुनियाद रखी जा रहो, इस तरह को पद्धति अपनाई जातो है। लेकिन इन सबसे अधिक भ्रब्ट तरोका जौ चनाव कराने की भशोनरो, चुनाव कराने का माध्यम है मेरा संकेत प्रशासकीय अधिकारियों से है, उनके द्वारा किस प्रकार से अन्ट आचरण कराते हैं या जिस तरह से सरकारो तंत्र का दूरुपयोग होता है उसका भो नमुना देना चाहता हं। कही तो यह होता है और अधिकारी जो निष्पक्ष ढंग से काम करें, ऊपर से आदेश दे दिया कि इसका ट्रांसफर करो। ऊरर किसो चनाव क्षेत्र का व्यक्ति कहता है कि वह अधि-कारी हमारे अनुकूल नहीं बैठेगा तो चुनाव क्षेत्र से उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। ए सी भी घटनाएं देखने में आती हैं जहां सहयोग दिया तो प्रमोशन होना मामूलो से बात है, उसको पदोन्नति कर दो जातो है। ऐसो-ऐसो घटनायें सुनने में आतो है कि उम्मोदवार से किसो ने अच्छा सहयोग किया तो उसको वेतन बृद्धो कर दो जाती है। इमसे बचने का एक हो प्रकार है कि हम अगर निर्वाचन -प्रणालो को शुद्ध स्वरूप देना चाहते है तो हमको चाहिए कि निर्वाचनों से दो मास पूर्व सरकार त्याग-पत्र दे दे राष्ट्रपति के हाथ में या किसो प्रकार को निपक्ष मशोनरो के हाथ में सना दे दो जाय, जिससे जनता को सहो निर्णय देने का अधिकार मिल सके और सरकारो तंत्र का किसी प्रकार से दुरुपयोग नहीं हो सके।

अगलो बात मैं यह कहना चाहता हूं कि चुनावों में जो घन को भूमि का हमारो रा**ः**नोति को दूषित करतो जा रहो है, उसके संबंध में उन उदाहरणों को मैं विस्तार से नहीं देना चाहता। यदि दरभंगा से जो लोक सभा के लिए चुनाव हुआ था उसमें किस प्रकार धन को होलो खेलो गई, कटक में जो चुनाव हुआ उसमें किस प्रकार से धन को होलो खेलो गई और अभो जबलपूर में जहां से विषक्षो दल का उम्मोदवार लोक सभा में चुन कर आया वहां क्या स्थिति हुई ? मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं। उन्हें आप भो स्वोकार करेगे। जैसा वाचु समिति को रिपोर्ट है जो प्रत्यक्ष करों के बारे में उन्होंने दो, उसमें वाच् समिति ने अपनो रिपोर्ट में कहा कि यह जो काला धन देश में बढता चला जा रहा है इसका एक बहुत बडा कारण यह है कि ये जो कंपनोज और कार-खाने वाले है ये बहुत बड़ो संख्या में काला धन राजनैतिक पार्टियों को देते हैं, व उनको संग्क्षण देते है; उसका पग्णिम यह है कि देश में काला धन रुक नहीं रहा और उसकी संख्याबढ़तो जा रहो है। जो निर्वाचन आयोग है उसने भी 1963 को रिपोर्ट में एक तथ्य दिया है। निर्वाचन आयोग के शब्द यह ह कि निर्वाचन व्यय संबद्यो वर्तमान उपबंध अनुपयुक्त हैं, उनमें भारो संशोधन अथव उनमें पूर्णतया संशोधन होने को आवश्यकत

है। यह निर्वाचन आयोग का कथन है; पहले मैंने वाचू समिति की बात बताई थी। अब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या हुआ ? अभी कुछ समय पहले दिल्लो से आने वाले एक लोक सभा मदस्य, श्री अतरनाथ चावला, जो म्रष्ट आचरण के अदर सर्वोच्च द्वारा न्यायालय अपने स्थान से हटाए गए हैं, उनके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसका एक पैरा मै पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :---ऐसो स्थिति में जब कोई राशि इस प्रकार से खर्च की गई हो कि उसका किसी उम्मीदवार से संबंध बढ़ता है तो उस राशि को उस उम्मो-दवार के खर्च में शामिल किया जा सकता है। इतना हो नहीं , आगे चल कर सर्वोच्च न्यायालय कहता है : कानून बनानेवालों को यह मन्शा कभो नही हो सकतो कि जो काम व्यक्तिगत रूप से कोई उम्मोदवार नहीं कर सकता वही काम करने को उसको पार्टी, उसके मित्र और उसके समर्थकों को खलो छट दो आए । यानी, सर्वोच्च न्यायालय ने एक स्पष्ट निर्णय दिया । मेरा अनमान था कि वर्तमान सरकार कम से जम मर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को मानेगी और निर्वाचन प्रणालो में सुधार करेगो । लेकिन सर्वोच्च न्दायालय के निणंय को स्पाहो सुखो नहीं थो कि राष्ट्रपति का आर्डिनेंस्प आरो करवा दिया । और य ह आर्डिनेंस जारी क्यों हुआ ? क्योंकि यह कहा गया कि कुछ प्रकार की याचिकाएं न्यायालयों में विचाराधीन पड़ी हुई है जिसमें इसी प्रश्न को लेकर निर्णय न ले लिया জায । 1. 4. 4 南花

अब आप हो बतलाइये कि किसी भी जुद्ध प्रजातांतिक पद्धति से चलने वाले देश में सर्वोच्च न्यायालय के निर्गयों का सम्मान किस प्रकार से किया जाना चाहिये और यहां पर किस प्रकार से उसको तिरस्कृत किया जाता है । इस तरह से दो तीन बातों द्वारा आर्डिनेस जारी कर दिया जाता है । अध्यादेश में यह कहा गया है :

''किसी प्रतिकूल फैसले, आदेश या निर्णय के बावजूद राजनीतिक पार्टी अथवा लोगों की 6--28 RSS(ON)/75

[21 MAR. 1975] misuse of Govt. machinery 162 in elections

किसी अन्य संस्था था संघटन अथवा किसी व्यक्ति (उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट से भिन्न) द्वारा किसी उम्मीदवार के चुनाव में खर्च किया गया या खर्च के लिए अनुमित धन स्वयं उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट द्वारा चुनाव पर खर्च किया गया धन न तो कभी माना गया और न कभी ¦माना जायेगा,"।

अब आप ही बतलाइय' कि कितना बड़ा संविधान का उपहास है । सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ा निर्णय स्पष्टता और निष्पक्षता के साथ दिया है*,* परन्तु सरकार इस चीज को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है। अब मैने यह भी सुनाहै कि जो कम्पनी वालों से चन्दा लेने पर प्रतिबन्ध लगा हआ था, उसको सरकार खोलने पर विचार कर रही है। हालांकि प्रतिबन्ध के बाद भी सत्ताधारी दल को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी. खुलने के लेकिन प्रतिबन्ध बाद अधिक धनराशि विरोधी पक्ष को चला जायेगा और सत्ताधारी दल को नहीं मिलेगा यह कैसे सम्भव हो सकता है ? तो मेरा कहना यह है कि इस प्रकार का जो प्रतिबन्ध है उसको और भी सख्त किया जाय ताकि चुनाव में धन की राशि जो अनुचित भूमिका है, वह हटाई जा सके । अब तो स्थिति यह हो गई है कि कम्पनी वाले पहले चन्दा ही देते थे और अब कम्पनी वाले लाखों-करोड़ों रुपया लगा लगा-कर चनाव में सीधा हिस्सा लेने लगे और इस तरह से लोक सभा और राज्य सभा के चुनावों में उतरने लगे है । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हं कि सरकार को निष्पक्षता के साथ-साथ इस बात का पता लगाना चाहिये कि कोई भी धन-पति, कोई भी पूंजीपति अपना धन चुनाव में न लगाये । इस तरह जो धन की वह गंगा में बहाता है, नदी में बहाता है। पर गंगा पवित्र है मैं गंगा की उपमा नहीं देना चाहता हूं। लेकिन कोई भी धनपति अगर धन को गन्दी नाली बहाता है और चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से इस तरह स हिस्सा लेता है, तो इस तरह के व्यक्ति को जीवन भर चनाव में खडानहो

[RAJYA SABA]

٠.

misuse of Govt. machinery 164 in elections

-1

, M

ट' [श्रो प्रकाशवीर शास्त्री]

सके इस तरह की व्यवस्था हमारे संविधान में होनी चाहिये । आज इम तरह में कुछ पूंजी-पति करोड़ों रुपया खर्च करके हमारे प्रजातंत्र की प्रणाली को दूषित करना चाहते हैं ।

दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि जैसा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने इस वात का संकेत दिया है कि पार्टियां भी अगर किसी व्यक्ति पर खर्च करती है, तो पार्टियों द्वारा किया गया खर्च भी उस चुनाव में जीते हुए प्रतिनिधि को अपने चुनाव के खर्च के विवरण में पेश करना चाहिये । इस तरह से पार्टी द्वार। जो खर्च उस व्यक्ति के लिये किया जाता है, वह उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी कि बह उस खर्च को अपने चुनाव खर्च में सम्मिलित् करें। दूसरी बात यह है कि पार्टियों के खर्च का इंटर्नल आडिट भी होना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि पार्टियां जिस तरह से चाहे खर्च करें और उन पर किसी तरह का कोई प्रतिबन्धन हो । मैं यह भी चाहता हूं कि पार्टियां जो धन संग्रह करती हैं और जो आमदनी के स्त्रोत हैं, उन्हें बताना चाहिये कि इतनाधन कहांसे आया ताकि चुनाव निष्पक्षता के साथ हो सकें। इस बात को हम सब लोगों को मिलकर सोचना चाहिए ।

श्री गोखले जी ने एक बात जो कुछ दिन पहिले लोक सभा और इस सदन में स्वीकार की थी कि सरकार गम्भीरता के साथ इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि जो लोग चुनाव के अन्दर खड़े होते हैं, वे पूजीपतियों पर निर्भर न रहें और वे अपनी ईमानदारी, अपनी सेवा और अपने चरित्र के बल पर अपने मतदाताओं का विश्वास प्राप्त कर सके तथा जीतकर आ सकें, इस के लिये सरकार को अपनी ओर से उनको कुछ सहायता देनी चाहिये। जिस तरह से जर्मनी में और दूसरे देशों में होता है, उसी तरह की कुछ व्यवस्था यहां पर भी करनी चाहिये । आपने कहा कि इस सम्बन्ध मे अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया है, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप कोई निर्गय न कर पाये परन्तु इतना तो निर्णय कम मे कम किया जा सकता है -- चाहे आप नकद राशि इस सम्बन्ध में न दे---लेकिन प्रकाणन सामग्री और पर्चियों के सम्बन्ध में जो खर्च होता है और दूसरे इस प्रकार के जो भारी व्यय करने पड़ते हैं, उसमें धन या सहायता का जा मकतो है।

अंत में, दो तोन बात कह कर मैं अपनो वात समाप्त कर दूंगा । पहली बात जो सबसे बड़ी है वह है निर्वाचन आयोग की भूमिका के बारे में । हमें ऐस। लग रहा है कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संगठन न रहकर सहकारी तंत्र की भूमिका अदा कर रहा है । पहले यह पद्धति थी कि जब किसी बात के बारे में कोई निर्णय लेना होता था तो सभी राजनीतिक पार्टियों के दलों को विश्वास में ले लिया जाता था और उनका विश्वास प्राप्त करके निर्णय किया जाता था। अब कूछ दिनों से यह पद्धति समाप्त होती जा रही है। मैं इस सम्बन्ध में एक दो उदाहरण देना चाहता हूं और वह यह है कि प्रत्येक मतदान केन्द्रों के प्राप्त मतों की गणना एक साथ मिलकर की जाय । इतना बड़ा अव्यवहारिक निर्णय लिया गया है और इस बारे में निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को वि**श्वास में लेना उपयक्त नहीं** समझा है।

अभी कुछ दिन पहले निर्वाचन आयोग ने यह घोषणा की थी कि बिहार विधान सभा के रिक्त स्थानों की पूर्ति की जायेगी। इस संबंध में चुनाव की तारीख तक घोषित कर दी गई थी, लेकिन जब उनको यह पता लगा कि हवा का रुख उल्टा हो गया है, तो निर्वाचन आयोग ने फिर अपना आदेश वापस ले लिया। इसी तरह से कुछ दिन पहले जम्मू में चुनाव होने जा रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने सात दिन पहिले अपने आदेश को वापस ले लिया।

गुजरात विधान सभा के निर्वाचन के सम्बन्ध में लगता रहा अब हो, अब हो लेकि

[21 MAR. 1975]

हुआ नहीं। निवचिन आयोग की भूमिका गुज-रात के सम्बन्ध में निष्पक्ष नहीं लगती । जिस प्रकार की निर्वाचन आयोग की भूमिका रही है उससे उसकी निष्पक्षता पर सन्देह होता चला जा रहा है। निर्वाचन के लिए जो मतदाता-सूचियां नैयार की जा रही है उसमें निर्वाचन आयोग जिम तरह पक्षपात से या एकनकीय रुख से काम कर रहा है उम प्रकार एसे स्वतंव संगठन को काम नहीं करना चाहिए । होना यह चाहिए था कि दस वर्ष के वाद जब नई जनगणना के आंकड़े आते है उनके आधार पर निर्वाचन के लिए मतदातासूचियां तैयार होगी अब 1976 में जब निर्वाचन होगातो उसके लिए 71 की जनगणनां के आधार पर मतदाता-सूचियां क्यों नहीं वनाई जा सकतीं? लेकिन, उपसभाषति जो, हो यह रहा है कि 1976 के निर्वाचनों के लिए 1971 की जो मतदाता-सूची है उसको आधार माना जा रहा है और 1971 की सूची 1965 की सूची को आधार मानकर तैयार की गई थी । इसका परिणाम यह होगा कि देश के करोब 5 कोड मतदाता अपने मत के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने जो यह निर्णय किया है यह निष्पक्ष निर्णय नहीं लगता । इससे लगता है कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संगठन के रूप में न रहकर सरकारी तंत्र का हिस्सा वनता चला जा रहा है। इसलिए मेरा अपना सुझाव है कि निर्वाचन आयोग को एक बहु-सदस्यीय आयोग बनाना चाहिए, 'बह-सदस्यीय' इसलिए भी कहना चाहता हूं क्योंकि संविधान की धारा 324 में स्पष्ट उल्लेख है कि निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त ऐसे सदस्य और दूसरे निर्वाचन आयुक्त होंगे कि जिन्हें समय समय पर राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। उसमें स्वष्ट उल्लेख है कि एक निर्वाचन आयुक्त नहीं होग।, बल्कि उसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब निर्वाचन आयोग बना था, उस समय देश में 17 करोड़ मतदाता थे, लेकिन आज सरकारी आकड़ों के अनुसार-यदि सही मतदाता -सूची तयार

misuse of Govt. machinery 166 in elections

न करें तो भी--32 करोड़ मतदाता होंगे 🕇 कितने मतदाता-केन्द्र बढ़ गए हैं, कितने मतदाता बढ़ गए हैं, कितनी समस्याएं बढ़ गई हैं ऐसे में एक निर्वाचन आयुक्त निष्पक्षता के साथ निर्वाचन की भूमिका का सम्पादन कर सके, इसमें मुझे सन्देह प्रतीत होता है। स्वयं निर्वाचन आयोग ने भी अपने सम्बन्ध में इस प्रकार की ही बात कहीं है जिससे स्पष्ट होता है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाय । डा० चेन्ना रेड्री को जो 6 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डिबार किया और उसके ऊपर चेन्ना रेड्डी ने जो निर्वाचन आयोग के सामने अपील की उस सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग ने जो शब्द कहे में उनको पढकर सुनाए देता हुं। उससे यह स्पष्ट होता है कि निर्वाचन आयुक्त भी 'चाहना है कि एक व्यक्ति के हाथ में इतना बड़ा आयोग न हो, बल्की वह चाहता है कि उसके सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाय । निर्वाचन आयोग का कहना यह है-उच्चतम न्यायालय ने प्रमाणों की भलीभांति सूक्ष्म परीक्षा की है तथा उनका मुल्याकन किया है या नहीं, यह जांचने के लिए मैं स्वयं को उच्चतर-उच्चतम न्यायालय नहीं मान सकता हूं । मं सम्मानपूर्वक कहना चाहूंगा कि ऐसा करना देश के सर्वोच्च न्यायाधिकरण की प्रतिष्ठा के प्रति अपमानसूचक होगा । यह संविधान के अनुच्छेद 141 व अनुच्छेद 144 की भाषा, भाव और सिद्धांत के भी विरुद्ध होगा। क्योंकि वहा सर्वोच्च न्यायालय की बैंच ने निर्णय दिया और उसकी अभील एक व्यक्ति के सामने हो, निर्वाचन आयुक्त के सामने हो, उसके लिए मैं अपने को समर्थ नहीं मानता । निर्वाचन आयोग स्वयं चाहता है कि उसके सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाय, लेकिन पता नहीं सरकार क्यों इस प्रश्न को रोके बैठी हुई है । एक तो मैं यह चाहता हूं कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ायी जाय । दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की भी वही पद्धति रहनी चाहिए जो लोकपाल या लोकआयुक्त के बारे में है कि मुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधोश और विरोधी दल के नेता, सब मिल कर

1. m

[RAJYA SABHA]

[A] misuse of Govt. machinery 168 in elections

[श्रो प्रकाशवीर शास्त्री] लोकपाल और लोकआयुक्त की नियुक्ति करेंगे उसी प्रकार निर्वाचन आयोग बह-सदस्यीय हो और सरकार उसकी नियुक्ति न करे, राष्ट्रपति न करे बल्कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विरोधी दल के नेता मिल कर नियुक्ति करे। ऐसी पद्धति अपनाई जाय जिससे देश मे विश्वास हो सके कि यह जो निर्वाचन आयुक्त को अपने स्थान पर बैठाया गया है उनका बड़े निष्पक्ष भाव से चयन हआ है । दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत सरकार के मुख्य सचिवों मे से नहीं रखा जाना चाहिए । मुख्य निर्वाचन आयुक्त को रिटायरमेट के बाद फिर नए पद या नए स्थान भी नहीं मिलने चाहिएं । जैसा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्बन्ध में है वही पद्धति इसके सम्बन्ध में भी रहनी चाहिए । इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि निर्वाचन आयोग को चाहिए कि सभी दलों को विश्वास में लेकर निर्णय ले 1

अन्तिम बात जिसको कह कर मैं बैठ रहा हूं वह यह है कि जातिवाद की भूमिका चुनावों के अन्दर बढ़ती चली जा रही है। एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि जातिवाद की भूमिका हमारी निर्वाचन प्रणाली को बहुत दूषित करती चली जा रही है।

उपसभापति जी, मैं एक बार राष्ट्रीय एकता परिषद का सदस्य था। उस की पहली बैठक जब दिल्ली में बुलाई गयी थी जवाहरलाल जी द्वारा तो उस समय डा० जाकिर हुसैन साहब बिहार के गवर्नर थे और वह भी उस के सदस्य के रूप में उस राष्ट्रीय एकता परिषद में भाग लेने आये थे। उस समय उन्होंने उस परिषद में कहा था कि तुम राष्ट्रीय एकता की बात करते हो लेकिन मौलाना आजाद को जिताने के लिये तुम को रामपुर या गुडगांवा की कांस्टीट्यू की बाहिए जहा कि मुसलमानों का भारी बहुमत हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि इमारे चुनावों में या टिकट देते समय राजनीतिक पार्टियां भी इस प्रकार की दुर्ब-लता की शिकार बनती है । जब लोग चुनाव में जीत कर आते है तो मतिमंडल का निर्माण करते समय इसी तरह की छोटी छोटी चीजों का आधार माना जाता है । तो मैं चाहता ह कि इस संबध में बहुत गंभीरता के साथ निर्णय लिया जाना चाहिए ।

दूसरी बात जिस को कह कर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं यह है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे मे । आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सबंध मे मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि कई देशों ने इस का परीक्षण किया है और परीक्षण करने के बाद वह उसमें कितना सफल रहे और कितना सफल नहीं रहे इस विषय में वह अभी तक पूरी तरह किसी निष्कर्य पर नहीं पहुंच सके हैं। जिन देशों में यह पदाति जारी है उसमें भी इस संबंध में काफी खोजें की जा रही है। तो मैं श्री गोखले से यह अवश्य चाहता ह कि वह इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व की चुनाव पद्धति को लागु करने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति बनाये जो यह देखे कि इस देश में कहां तक यह पद्धति व्यावहारिक हो सकती है। मैं स्वयं इस पक्ष में हूं कि यदि अत्-पातिक प्रतिनिधित्व पद्धति इस देश मे जारी को जा सके तो जनता के सही मनों का प्रदर्शन उन की 🛔 भावनाओं का और उनकों आशाओं और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व संसद मे और विधान मंडलों में हो सकता है । इसलिये इन सभी वातों की जानकारी करने के लिये और इन सभी वातों को सही रूप देने के लिये मेरी अपनी इच्छा है कि विधि मंत्री श्री गोखले एक निर्वाचन पद्धति के लिये एक राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति करें । लेकिन राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति करने से मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि उस के लिये ो, तीन साल की अत्रधि दे दी जाय । उस का कम से कम तीन महीने के अंदर आप प्रति-वेदन ले ले और उस के बाद भारत की चुनाव पद्धति मे इस प्रकार के सुधार करे जिससे आने वे। लो पीड़ी और देश में जो मतदाता है या वेश की

जो जनता है उसका चुनाव की पद्धति मे विक्वास जम सके। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (राजस्थान): उपसभापति महोदय, जहां तक चुनावों में का सवाल है हमारी पार्टी, हमारी सुधारों का इस मामले में बड़ा स्वष्ट मत सरकार है कि चुनाव में जहा सुधारों की आवश्यकत। हो वहां चुनावों में मुधार किये जायें । अभो शास्त्री जी ने यह बनाया कि जे० पी० आन्दोलन का एक खास मुद्दा यंह रहा है कि चुनाव पद्धति में मुधार किया जाय । उस के बारे में भी हमारी सरकार ने स्पष्ट कहा था कि आप लोग जा मुझ व देना चाहते हैं उनके वारे में विचार किया जा सकता है। जहा मुधारों की आवश्यकता हो हम सुधार करने के लिये तैयार है और मेरा अपना निजी मत भी है कि चुनाव पद्धति में कुछ सुधार करने की आव-श्यकता अवश्य है। अभी कुछ महीने पहले इस संबंध में एक ज्वायंट सेलेक्ट कमेटी बैठी थी, उसमें भी उन्होंने मे आई रेक्वेस्ट युफार दि आर्डर इन दि हाउस । (Interruptions) थोडे से पालियामेटरी एटीकेट की तरक आपका ध्यान दिलाना चाहनी हूं । अगर मेरी बात सुन लें तो मेहरबानी होगी । (Interruptions)

श्री राजनाराष्ट्रण (उत्तर प्रदेश) : आप अपने पडोसी से कहिये ।

श्वीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : पड़ोसी तो चुप रहेंगे । तो उपनमापति जी, चुनाव पद्धति में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है और खासतौर से जहां तक खर्च का सवाल है उभारे यहां की आर्थिक स्थिति को देखते हुए चुनाव पर जिस तरह से खर्च होता है उसके लिये हमे कुछ ऐम कदम उठाने चाहिए जिससे कि चुनाव में खर्च कम हो । उसके संबंध में कुछ थोड़े से सुझाव भी दिये जा मकते है । जैसे इग्लैड मे रायल प्रांक्लेमेशन के बाद केवल 19 दिन दिये जाते हैं और हमारे यहा 35 दिन दिये जाते हैं, उसके बजाय

[21 MAR. 1975] misuse of Govt. machinery 170 in elections

अभर 19 दिन कम होते हैं तो 35 दिन की अवधि को घटा कर 20 या 25 या 27 दिन कर सकते है और अगर इस तरह से इस अवधि को कम कर दिया जाय तो चनाव खर्च में काफो कमी हो सकती है। दूसरे जबसे हमारे यहां नामिनेगन फाइल किये जाते हैं उस दिन मे लेकर जब तक पोलिंग पूरी नहीं होती तब तक शराब पर बिल्कूल पाबन्दी लगां दी जानी चाहिए । चुनाव के दिनों में जिस तरह से शर/ब वाटी जाती है, जिस तरह से उसका दुरुपयोग होता है और चरित्न पर लोगों का उसका वुरा असर पड़ता है और खर्च में भी उसके कारण जो विशेषता आती है उसको ध्यान में रखते हए उन दिनों में शराब पर बिल्कूल वन्दी हो जानी चाहिए ।

अाजकल तीन दिन पहले रोका जाता है, बाकी बरावर चलता है । इसलिये मेरा मुझाव है कि जिस दिन नामिनेजन फाइल हों उसी दिन से लेकर पोलिंग के दिन तक जराब का बिल्कूल वर्जित कर दिया जाए ।

जब चुनावों के खर्चों को देखते हैं तो सबसे बड़: सवाल आता है मोटर के पैट्रोल के खर्चे को लेकर । आगे जो चुनाव होने वाले है उनमें पेट्राल के भाव को देखते हुए इसका खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। तो कानून में चाहे जितनी रकम बाध दा केवल कानून मे रकम बांध देने से खर्चे में कमी नहीं आयेगी । कानून में आप 10 हजार रखो, 20 हजार रखो, लेकिन जैसा आजकल हाता हे वैसा ही होता चला जाएगा । मै जब पेट्राल की आर ध्यान दिलाती हूता मझे कहना पड़ता है कि पार्टियां चुनावों के मौके पर जिस सरगमी के साथ जीपों को मैदान में दौडाती है उससे खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है । मै आपके मामने एक उदाहरण रखना च/हती ह 1

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : How much did Gayatri Devi spend?

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : मैं अपने राज्य का एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहती हूं। लोक सभा का जो दोसा से चुनाव हुआ था। उसमें हीरालाल सोमानो खड़े हुए थे। उनके पास 240 जीपें थीं। राजस्थान में जब के० के० बिड़ला चुनाव में उतरे तो उस क्षेत्र में 1400 बूथ थे। एक एक बूथ पर एक एक जीप रखी गई थी। मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रहीं हूं। कई बूथ ऐसे थे जहां दो पार्टियां हो गई थीं। उनकी अलग अलग जीपें थीं... (Interruptions)

श्री जगदोश प्रसाद माथुर (राजस्थान)ः रायबरेली का भी बता दीजिए . . .

(Interruption)

श्री लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : मै निवे-दन करूंगी कि जब आपके किसी व्यक्ति के ऊपर आक्षेप किया जाता है तो एकदम सारे क्यों बोलने लगते हैं ? हम आक्षेप मुस्कराते हुए स्वीकार करते हैं तो आपमें इतनी भी शक्ति नहीं है कि आप हमारी बात सुन सकें ?

तो सभापति महोदय, मेरा कहना यह था कि 1400 जीपें वहां थीं। जहां जहां मतदाताओं में दो पार्टियां थीं वहां पर एक एक जीप और देदी थी। बिडलाजी के जो अधिकारी थे. मिल के अफसर थे, तथा बाहर से आये हए थे उनकी सेवा के लिए अलग जीपे थीं जिनकी गिनती 60 के लगभग थी। जब प्रकाशवीर शास्त्री जी ने अभी जित्र किया धन की होली जलाने का तो उनके ध्यान में यह पाइंट नहीं आया । इसका मुझे अफसोस है । जब उन्होंने धन की होली जलाने के बारे में उदाहरण दिये तो कहा कि रामगढ के राजा हेलीकोप्टर से चनाव लडे थे लेकिन उनको राजमाता ग्वालियर की याद नहीं आई। अच्छा होता कि जब आपने कहा था कि मैं किसी पोलिटिकल पार्टी का जित्र नहीं करता हूं तो नाम गिनाते समय कुछ अपने भी नाम गिनाये होते, कुछ इधर के कुछ उधर के नाम गिना दिये होते । .

(Interruption)

[RAJYA SABHA] misuse of Govt. machinery 172 in elections

श्वी प्रकाशवीर शास्त्री : मै बाधा डालने की पद्धति पसन्द नहीं करता हं, चूकि आपने मेरा नाम लिया है, इसलिए स्पष्ट कर दूं कि मैंने आपकी पार्टी के भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया था। लेकिन अगर आप यह कहती हैं कि राजा रामगढ़ और रानी ग्वालियर ने हेलीकोप्टर से चुनाव लड़े तो इन दोनो के हेलीकोप्टर सरकारी नहीं थे और सरकारी हेलीकोप्टर और हवाई जाहाज आपकी पार्टी इस्तेमाल करती है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : चाहे जो है, धन की होली जलाने का जिक किया । किस तरह से हुआ क्या हुआ यह सारे की सारी धन की होली है, जनता की सम्पत्ति है, सारा का सारा देश का माल है, सारे का सारा इसका संपर्क चुनाव आचरण से बैठता है । आपकी पार्टी हो या हमारी पार्टी हो या दूसरों की हो । दूसरे, प्रकाशवीर शास्त्री जी ने गम्भीरता के साथ पार्टियों के चुनाव खर्च की जांच करने की सुन्दर आयोजना बताई । मै चाहती हूं कि आप जे० पी० आन्दोलन में जो करोड़ों रुपया लगा है, सबसे पहले इसी की जांच के लिए राजी हो जायें कि यह धन कहां से आ रहा है क्योंकि बिल्कुल ताजा मामला आज का है और आगे भी चलेगा ।

और उसके बारे में कई तरह की बातें कही जाती है। यह भी कहा जाता है कि विदेशों से पैसा आता है। तो मेरा कहना है कि इसकी जाच होनी चाहिए। इसके लिए सारी पार्टियों का इन्टरनल ढग से आडिट किया जाये।

आपने चुनाव आन्दोलन की बात भी कही । एक तरफ तो आप बिहार में लोगों को चुनाव में जाने के लिए कह रहे हैं और दूसरी तरफ नागालैण्ड में जिनको निकाला गया है उनको वापस लेने की बात करते हैं । आप दोनों तरफ की बातें करते हैं । समझ में नहीं आता आप किस पक्ष मे रह कर बात कर रहे है । सभापति महोदय, कुछ पार्टियों का बड़ा जोर है...

3

SHRI G. LAKSHMANAN (Tamit Nadu): Regarding JP movement's expenses, we have got a Government which is so incompetent that it is not able to find out from which source the money comes. You accept your incompetence.

SHRIMATI LAKSHMI KUMARI CHUNDAWAT: Thanks for your information. सभापति महोदय, कुछ पार्टियों का यह ख्याल है कि जो मेम्बर चन कर भेजे जाएं उनको वापस रिकाल किया जाए । यह बात कहने को तो सून्दर लगती है, यह बात सुनने में लभावनी लगती है और इसके ऊपर ताकत भी लग रही है लेकिन वास्तव में यह इम्प्रैक्टिकेबल है । प्रैक्टिस में यह नहीं आ सकती । एक एम० पी० के चनाव में 10 लाख की जनसंख्या होती है। अगर उसके अप्लीकेशन के लिए रेफ्रैन्डम में देने के लिए 10 परसेंट व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराए जाएं तो 40हजार व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराने पडेंगे। आप सोचिए 40 हजार व्यक्तियों के हस्ताक्षर कैसे कराए जाएंगे । अगर हस्ताक्षर करा लिए गए तो उनको वैरिफाई कौन करेगा । जिस ढंग से हमारे आन्दोलन चल रहे है उसको देखते हुए तो कितने हो झुठे हस्ताक्षर होंगे । कई अगूठे होंगे, कई नाम झूठे लिखे जाएंगे तो क्या उनके हस्ताक्षर वैरिफाई किये जा सकेंगे। मै समझती हूं फिर चुनाव पर चुनाव चलते जाएंगे। अभी जब कि रिकाल का सवाल नहीं है तब भी इन साल-डेढ साल में आप देख रहे है कि चुने हुए प्रतिनिधियों को कई तकलिफों से गुजरना पड़ रहा है । मै आपसे निवेदन करना चाहगी कि आप जानते है किस तरह से आन्ध्र में चुनी हुई महिला की साड़ो उतारी गई। इसी तरह मै अब आपको गुजरात की बात भी बताना चाहती हू । आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गुजरात में जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उनके घरवालों के बालबच्चों का घेराव किया गया था। उनके उपर पत्थर मारे गए। उनको अपनी सुरक्षा की मुझ्किल हो गई ।

इसी तरह से बिहार के अम्दर भी चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ हुआ । आपके जो नेता है वे अहिंसा का नारा लगा कर कहते है कि आप किसी को थप्पड़ मार सकते हैं । अगर ऐसी अवस्था में रिकाल की पढ़ति अग्ताई जाएगी तो क्या परिस्थिति होगी आप स्वयं अंदाजा लगा लीजिए ।

जहा आपने सरकारी कर्मचारियों का जिक किया कि वे कई तरह से इधर उधर गडबड़ी करते है तो मैं इसने सहमत हूं । मुझे कई पोलिंग स्टेशन पर जाने का अवसर मिला। दुर्भाग्य है कि मैं दक्षिण भारत की बात नहीं कह सकती लेकिन उत्तर भारत, राजस्थान, मध्य प्रदेश के बारे में कह सकती हूं कि जो हमारे कर्मचारी क्लर्क काम करते हैं उसमें आर० एस० एस० की विचाराधारा के लोग घुस आए है और हर तरह से अपनी विचारधारा की पार्टी जनसंघ को फायदा पहुंचाते हैं । उनको बराबर फायदा पहुचाने की कोशिश करते हैं। मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर कहती हं जब ऐसी विचार धारा वाले व्यक्ति पोलिग स्टेशन पर बैठ जाते है और जब वे देखते हैं कि वोट देने वाले काग्रेसी आ रहे हैं तो धीरे-धीरे पर्ची पर मोहर लगाना शुरू कर देते है ताकि समय बीतता जाए और वे लोग पूरे समय तक वोट न दे सकें। शास्ती जी मै अपना अनुभव बता रही हुं।

दूसरे चुनावों में सबसे बड़ी दिक्कत जो है वह जातिवाद को लेकर, सम्प्रदायवाद को लेकर है । वे इसो तरह का वातावरण बना कर जनता को भावनाओं को अपनो तरफ मोड कर इलैक्शन मे जीत जाते है लेकिन मै कहना चाहती हू कि इंससे हमारे देश का हित .नहीं हो रहा है बल्कि हानि ही हो रही है । कुछ पार्टियां है जो ऐसी जातिवाद के ऊपर चुनाव लड़ती है कुछ पार्टिया ऐसी है जो केवल कम्युनिलिज्म के उपर । कुछ लोग इस प्रकार के है जा चाहते है कि देश मे जातिवाद कैसे भड़काया जाए, कम्युनिलिज्म कैंस भड़काया जाए, रेज्नलिज्म कैंस भडकाया जाए । ये चीजे चनाव के

[RAJYA SABHA]

[श्रोमतो लक्ष्मी कुमारी चूंडावत] मामले में गहरी शतु हैं जो हमारे देश को अन्दर ही अन्दर से खोखली कर रही है । और जब जातिवाद का सवाल आया तो हमें श्री चरणमिंह जी की याद आती है। जब यहां पर सम्प्रदायिकता की बात आती है तो इन विरोधी दल के सदस्यों को अपनी ओर देखना चाहिए । सारी दूनिया जानती है कि ये लोग किस प्रकार का आचरण करते हैं। यहां पर हमारे विधि मंत्री जी बैठे हुए है। मैं उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि जब औरतें चुनाव मैदान में उतरती हैं तो उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कितना जलील होना पडता है। ईश्वर की कृपा से विरोधी दलों में औरतें नहीं है ...

श्री सीताराम सिंह (बिहार) : माननीय सदस्या ने चौधरी चरण सिंह का नाम लिया है । मैं यह कहना चाहता हुं कि वे अपनी बात का प्रमाण दें अन्यथा अपने शब्दों को वापस लें। हम भी यह आरोप लगा सकते हैं कि इस देश में सबसे ज्यादा जातिवाद अगर किसी ने फैलाया है तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने और इनके नेताओं ने फैलाया है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुंडावत : हाथ कंगन को आरसी क्या। इस बारे मे तो सभी लोग जानते हैं (समय की घंटी) । मैं आपका सिर्फ दो मिनट का समय और लूंगी । मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि चुनावों में महिलाओं के प्रति निन्दनीय प्रचार किया जाता है । उनके चरित्र हनन की कोशिश की जाती है। प्राइम मिनिस्टर तक को इन लोगों ने नहीं छोड़ा है। उनके. खिलाफ जिस तरह के फोटो निकाले, वह भी सब को मालुम है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि सियों के साथ चुनावों में जिस प्रकार से व्यवहार किया जाता है वह बन्द किया जाना चाहिए । जैसा मैंने कहा, विरोधी दलों में औरतें चुनाव मैदान में नहीं आती है। जनसंघ के अन्दर सिर्फं ग्वालियर की महारानी है, लेकिन ये लोग सब उनकी ओट में शरण

misuse of Govt. machinery / 176 in elections

लेते हैं । अन्य कोई महिला विरोधी दलों में नहीं है। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बहुत बड़े पैमाने पर महिलाओं को चुनाव मैदान में लाती है। मैं श्रो प्रकाशवीर शास्त्री जी की इज्जत करती हूं। वे सज्जन हैं लेकिन वे अपनी पार्टी के लोगों को समझायें कि इस प्रकार के गलत ढग चुन(वों में वेन अपनायें।

दुसरो बात मैं यह कहना चाहती हूं कि हमने यह देखा है कि चुनावों के अन्दर लड़कों की एक फौज तैयार कर ली जाती है और वे कुछ इस प्रकार का प्रचार करते है कि जो बहुत ही गलत है। कुछ ऐसी तस्वीरें बनायी जाती हैं, जो अनुचित प्रकार की होती है । गाय को काटते हए दिखाया जाता है ओर यह देखने में भी आया है कि कांग्रेस वालों को गाय को काटते हुए दिखा रहे हैं। घर घर में जाकर प्रचार किया जाता है और ओरतों से कहा जाता है कि अगर काग्रस को वोट दिया तो गाय को इस प्रकार से काट दिया जाएगा । मै प्रछना चाहती हं कि क्या यह चुनाव लड़ने का तरीका z? - 30-

श्वी ओम प्रकाश त्यागी : आपने गाय और बछड़े का चुनाव चिन्ह क्यों लिया है ? गया, घोड़ा, और ऊंट का चिन्ह क्यों नहीं लिया ?

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चंडावतः मैं तो यह निवेदन करना चाहती हूं कि चुनावों के अन्दर भ्रामक ढग से जो प्रचार किया जाता है उसके लिए भी कोई उपाय किये जाने चाहिए । पिछले चुनावों के अन्दर आपको याद होगा किम प्रकार से गलत प्रचार किया गया था। बड़े जोर-शोर में यह प्रचार किया गया कि बैलेट पेपर और स्याही रूस से मगाई गई है ओर बैलेट पेपर पर मुहर लगाई जाती है तो वह इधर से उधर चली जाती है। यह बात किसी साधारण आदमी ने नहीं कही, पार्टी के लीडरों ने कही । इस प्रकार से जनता में भ्रामक प्रचार किया जाता है। आज इस बोसवीं शताद्वी में भी इस प्रकार की बात कहो जाती है। मैं चाहती हू कि जब कोई कान्न इस बारे में बनाया जाय तो उसके

साथ-साथ कोई आचार मंहिता भी होनी चाहिए ताकि हमारे आचरण भी ऊंचे हों। हम आचरण संहिता अपनी पार्टी वालों की बनाएंगे ; उसके आधार पर चलेगा तभी चुनाव ठीक होंगे। तरह तरह के चुनाव कायदे बनाने से नहीं होगा।

(Time bell rings)

एक बल और कह दूं अगर आप इजाजत दें। रेडियो के प्रक्षन को लेकर बार बार कहा जाता है; शास्त्री जी बड़े संयत शब्दों से कहते है, कोई कोई तो अल इडिया को इंदिरा रेडियो और न जाने किस किस ढ़ग से बोलते है। लेकिन अगर किसी को शिकायत होनी चाहिए तो कांग्रेस को होनी चाहिए, जनसंघ वालों को नहीं। अभी कुछ दिन पहले टो० वी० का प्रोग्राम आया था...

भी राजभाराखणः सदन का कुछ ता ःदुन. योग होना चाहिए ।

अीनतो लक्ष्मी **कुनारी चूंडाबत :** आप बोलते हैं तब क्या होतां है ?

भी राजनार। वर्ण: मै पूछना चाहता हू दुनिया के किसी प्रजातंत्र में सरकार के हाथ में रेडिया है ? आप लेक्चर दे रही हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): Now, please complete your last point.

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : लाम्ट पाइट है । अभी हाल टी० वी० के ऊपर एक प्रांग्राम पख: गया था ऐटामिक इनर्जी का लेकर किया गया था ; उसमें पार्तियामेंट के 4 मेम्बरों का इंटरव्हयू था ; उसमे सबसे पहले अटल बिहारी बाजपेयी जी को रखा गया था, उसके बाद में दूसरी तोसरी पार्टी के थे, चौथे नंबर पर कांग्रेस के वी० एन० पी० सिंह थे । हम पूछना चाहते हैं ; यह किस आधार पर रखा गया ? आप अपोजिशन पार्टी के लीडर को रखें, मुझे इसमें कोई ऐतराज नही लेकिन प्रोटोकोल के हिसाब से क्या लोकसना

[21 MAR. 1975] misuse of Govt. machinery 178 in elections

मे जन संघ चौथे नंवर पर नहीं आता है ? या तो विरोधी दल का नेता पहले आता या काग्रेस का पहले आता । श्री वो० एन० पी० सिंह जो कांग्रेस मे हैं उन्हें इस वारे में एक्सनर्टाइज था लेकिन अटल बिहारी बाजपेनी तो एक्सनर्ट नहीं थे । लेकिन किस ढग से उनको प्रथम स्थान पर दिखाया गया । आप ठंडे दिमास से सोचिए । आप कुछ भी न हान पर शोर करते है, हन हकदार हाते हुए भी चुप होकर आपकी बातों का सुनत हैं ।

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, twenty five years have passed since the commencement of the Constitution. I think it will be agreed on all hands that experience has underlined the necessity of electoral reform in our country. We are entirely in favour of electoral reform with a view to strengthening our democratic institution and the democratic process. Therefore, there is no question of any kind of reservation over the necessity of electoral reform. What, however, is relevant in this connection is as to what kind of reforms we want, in what perspective and how shall we set about the task. These are matters of importance and detail and are also of very, very crucial significance in this context. Mr. Vice-Chairman, I would, therefore, straightway suggest that the Government should not lose much time in calling a conference or a meeting of the leaders of the Opposition and of the ruling party in order to take counsel with one another in a calm and quiet discussion so that, if possible, by consensus certain formulae could be found out and measures could be thought of for improving the situation, if not, at least by a majority. Anyhow, we are not in a position to shirk the responsibility any more. Life has underlined, as I said, the supreme urgency of radical overhauling of the electoral system and electoral process in our country.

[Vice-Chairman (Shri Yogendra Sharma) in the Chair.]

I would, therefore, very humbly suggest that a meeting may be fixed at an early date, if possible next month, with

[Shri Bhupesh Gupta]

view to discussing the problem of a electoral reforms. Obviously you cannot expect solutions to be found readily when divergent social interests, political approaches are there. One has to work hard in order to see how best we can amend the law and what best system we can adopt. Straightway I would make three suggestions which we can take.

As far as other matters are concerned, I will not prejudge the discussion either in my party or in other parties or together. This question should be seriously discussed within the party or together. This question should be seriously discussed within the party, from the parties. bilaterally and multilaterally, then between the Government and the Opposithat a constructive approach tion so could be evolved in order to arrive at a conclusion. But I think immediately we

can proceed to come to an under-4 P.M. standing on the following things.

In the first instance, Sir, I would like to suggest that the voting age should be reduced from 21 to 18. There is no justification whatsoever for sticking to the old provision in the Constitution when we know that the young men and women between the ages of 18 and 21 are playing an important part in the social, economic and political life of the country and that they are also taking part in elections without having the right to cast their vote. There is no party in the country, whether it is the ruling party or any other party, which does not take abundant support from the young people of that age group. And I do not see why they should be debarred from casting their vote or denied the voting right. I think we can immediately go in for this. It is a question of giving vitality to our democratic institution, giving dynamism by giving the voting right to the younger generation. some of whom are working to-day and some are studying. Well, these people should be brought into participation in the democratic process in a direct man-I do not understand the Governner. ment's hesitation to accept this suggestion when all over the country, there is a strong public opinion that the voting

- 21

age should be reduced to 18. I think we are unnecessarily debarring millions \ of young people from casting their vote or denying them the voting right which is their due. And this gives rise to discontent, dissatisfaction and anyhow it is not good for a living democratic ins- titution to advance.

The second suggestion I would make, over which again there should not be any controversy really, is that we should go in for proportional representation. Sir, the present single member majority system is not good that way, compared to proportional representation. Proportional representation has many merits. If you read the books on the subject, you will find that many European politicians in the early days of the parliamentary institution had been, in one degree or another, in favour of proportional representation. I think it is very very necessary to-day in our country to have proportional representation so that different sections of political opinion have representation in the legislature according to their voting strength in the countrv. Then the legislatures, whether it is the Parliament or the State Assemblies, will better mirror and reflect the political currents and trends and correlation of political forces which, on the one hand, will tend to bring those who think alike together and, on the other, eliminate all kinds of opportunistic movements, opportunistic attempts to somehow or the other get some position in the legislature and so on. Many other evils are associated with the absence of proportional representation. Proportional representation will also reduce to a great extent money power in elections because people will be voting for the party. They will not be voting so much for the individual as for the party. Individuals, too, have an important part to play. I think in a dynamic democratic institution in a country like ours, where we have divergences in language and inmany aspects of life and culture and, of course, in political life and where we have conflicting economic interests, it is better that the Parliament and the Assemblies reflect the life of the nation in a microcosm as it were. It also gives

F

[21 MAR. 1975]

people confidence. In proportional representation, no section of the community would feel that that community has been excluded from having a representation in the legislature. Everybody's vote will have some value or the other. Depending upon the manner in which, you know, proportional representation is applied, it gives representation to all. Naturally, the political parties will have a predominant position rather than independents in this matter. This question we can discuss, Sir. Today, what is important is to come to an understanding as to whether we are going to stick on to the single-party-majority system or whether we are going to replace it by a system of proportional representation.

Sir, the system of proportional representation has many forms. You know, there is the List System, for example. Then, there is the Single Transferable Vote system and many other systems are there within the framework of proportional representation. This thing we can discuss. We can come to a conclusion as to which would be best suited to our country. Sir, we have our views on this matter. At the moment, what I am more concerned with is to impress upon the House the need for the replacement of the majority system of today, which is mainly the Anglo-Saxon system, by the system of proportional representation. That will ensure that no Opposition members will have any grievance that they are not adequately represented and the Governwill reflect the ment of the country politicial situation in the country. Today, Sir. we have 70% of the seats which have been captured on the basis of only 40% to 45% of votes and this is not a verv healthy situation and this is not very good in democratic institutions from the point of view of the voters and the people as a whole because this only means that we are installing a minority government and the government that we install has the support of the minority only. Why should we not go in for proportional representation whereby we will have a government which will be a government which is based not only on a legislative majority,

5] misuse of Govt. machinery 182' in elections

but also on the majority inside the country? In fact, Sir, legislative majority will not be there if, under the proportional representation system, in the event of no party getting a majority, some parties representing the majority in the legislature and reflecting the majority outside come together. Therefore, I think, the system of proportional representation merits a very serious consideration for strengthening democracy, for expanding democracy and, above all, for involving the masses of the people and getting their participation in the democratic processes, in the working of the parliamentary system and in the functions of the State.

Then, Sir, the third point is recall. Sir, recall should be provided for in our Constitution. I may inform the House that when we were members of the Committee on Defections-I was a member of that Committee on behalf of my party and there were other members also, who are not now in the Parliament, Ranga-Mr. Jayaprakash like Prof. Narayan also was a member of that Committee. But, Sir, I may tell you and the House-it may be a news to you all, and this is no reflection on Mr. Jayaprakash Narayan-that Mr. Jayaprakash Narayan, at that time, opposed the provision for recall and this is in the proceedings of the Committee on Defections.

SHRI O. P. TYAGI (Uttar Pradesh): Now, he is advocating recall.

SHRI BHUPESH GUPTA: I am glad that he is supporting the recalf provision and you are also supporting it. At that time, Mr. Madhok was representing the Jana Sangh. But we mainly pressed for recall in that Committee. It was the CPI which stood by and very strongly supported the provision for recall. We must not have a system whereby a show of force, threat or intimidation, we force people to resign their seats in the legislatures. We must have a system under which the electorate. should be given the right to recall a member whom it does not like or who. it thinks, will betray its interests. It should be left to the electorate to decide

[Shri Bhupesh Gupta]

and it should not be given to anybody else. But, Sir, now we find in Patna and in other places people coming from nobody knows where and asking somebody else to resign. Well, this is not recall. This is not recall at all. This is intimidation and coercion. This is forcible seizure of a legislature in order to get some out of the Legislative Assembly. It is not only a contravention of the democratic norms, but it is also an outrage on the democratic institutions. I hope, Sir, that my friends here will stoutly and strongly condemn this method of forcible removal of some persons and this use of coercive methods to get somebody out of the legislature whom they do not like. Something should be done. I am glad Shri Jayaprakash Narayan has given up the idea of using forcible methods for people to resign. Leave it to the constituency concerned or the electorate concerned. Nobody else should have any say. That should be the principle.

Another thing I would like to say is the power of big money today. Government should apply its mind to it. All of us should apply our mind to the problem of power of big money. Black money has invaded our democratic process and democratic system in a very dangerous manner. Sir, in a number of judgments, the Calcutta and Bombay High Courts-Mr. Justice Tandulkar and Mr. Chagla, who was at that time Chief Justice of Bombay, and Mr. Mukherjee of the Calcutta High Courtgave very strong warnings as what the consequences would be if the big money power and company funds were allowed to interfere with elections today. Now, we have seen what has happened. What has happened? This is money, money and money. Elections have become a flourishing business for some sections. It is also in suspense accounts of big monopolists. They give money. Thev get people elected from various political parties, so that vested interests could be served.

I remember the unforgettable affidavit filed by Mr. J. R. D. Tata in a case

where the confederation of Tata com-

panies was challenged in the Bombay Court Do you know what Tata said in his affidavit? He said : Yes, I paid Rs. 10 lakhs to Congress Party and a smaller amount to the Opposition parties, rightist parties, because both were needed in order to serve Tata's interests. This was stated by Tata in an affidavit. I think Mr. Justice Chagla or Mr. Justice Tandulkar, ex-Judges of the Bombay High Court, must remember it. It was horrifying. Tatas did not deny it.

Sir, we know very well that some monopolists are helping the ruling party and also some sections in the Opposition, not only for elections but also for other purposes. They are running with the hare and hunting with the hound, so long as they are in a position to hunt. This is the position. They do not run for nothing. They want to keep positions in Parliament and after the election they influence policies and frustrate democratic processes, and so on Big money has also post-election impact, in the sense that it begins then to tell upon the Government policies, influence Government policies in a reactionary direction, and so on.

Yesterday, Mr. Subramaniam made a such a speech. Do you believe that speech comes automatically? It is because of the big money, with whose help they win election. That's why there is an unwritten or a secret or an open understanding between big money and those who control the levers of political power that there should be some kind of give-and-take. They help the reactionary Opposition parties, so that they occupy the Treasury Benches. Therefore, what is their strategy? If the Government cannot be defeated, let the Government be filled with people who are amenable to big money, under the influence of big money. They throw all pretences and occupy the Treasury Benches. We are in the midst of this game today. Therefore, I say that big money is dangerous. It is a danger to democracy. The big money does many things. You remember Theissen Krupps before the war. Hitler won elections

with the money of Theissen Krupps, took power, ruined Germany of that time and plunged the mankind into a bloody war, the consequences of which we know. Therefore, I appeal to the Government and to everybody else in this House that we shall be going and we shall not live for ever in this House. We shall be passing away. Let us create a situation in which our democratic institutions continue to flourish shedding their shortcomings and other reactionary pulls that retard its progress. With that perspective of the future and that understanding of the future, we have to leave some inheritance for those who step into our shoes and occupy our positions. We have to leave that inheritance with that outlook and spirit. I would appeal to you and through you to the House and all the Members to discuss the question of electoral reforms from a larger angle and from the perspective of the future of the nation. Our children and our children's children will come to occupy these places. Let it not be said when history comes to be written that we have left something soiled and sullied because of our petty, partisan and narrow considerations. We know for a fact that so long as monopoly capitalists and others remain in society, so long as communalism is allowed to continue in our country and so long as money power is there, elections will never be strictly free or strictly fair. But we are not pessimists to make elections as much free and fair in a given situation as possible. I think if all of us take counsel immediately in a dispassinate manner, keeping for the time being our quarrels outside and keeping in view the interests of millions of people and if we have the paramount consideration of the nation and all the masses, we will have succeeded in arriving at some conclusion. We are of the view that the democratic institutions should be strenghthened for raising the down-trodden masses, those who are living in the villages without land and without wages and those who live in the hovels of harijans neglected society for years. We want this hv humanity of ours who are producing wealth of the land, to be elevated to the dignity of man and to give them the

[21 MAR. 1975] misuse of Govt. machinery 186 in elections

rightful place in society. We want him to come in on the basis of fraternity. brotherhood and secularism. We want the workers in the factory who are producing guns and weapons and many other articles of common consumption and who are building structures, plants and buildings and many other things, to make the nation great and prosperous. We want these people to be brought into the centre and the arena for making life worthwhile. That is way, Sir, democracy must strengthen the position of the down-trodden, humiliated and humble masses. The institutions which are anti-democratic, those who are antisecular, those who stand for plunder and exploitation, all those forces which want to make our country dependent and those who want division in our national unity must be weakened. You cannot have both ways. You cannot strengthen democratic institutions merely by the so-called electoral reforms unless you have the ideology and the purpose and the mission of so shaping and forging your democratic institutions so that the masses come forward and take their rightful place in the society, the oppressor and the exploiter and the traducers of our national life and all those who stand against advance and progress are weakened and pushed back into the back That is how we waters of history. should hold the discussions and try to evolve a programme for electoral reforms by mutual exchange of opinion and above, all, by learning from the experience of life. Life is a golden truth as everybody knows. Northing else is so sure a guide in this matter. Millions look to us that we shall give a lead in this matter to go forward and to make our democratic institutions not only secure and safe but stronger and better in the service of our great country and those great people,

Thank you.

SHRI S. S. MARISWAMY (Tamil Nadu): Sir, thank you very much for giving me this opportunity because I am in a rush to catch my flight to Madras.

Sir. after this thundering speech of my friend, Mr. Bhupesh Gupta, my voice

[Shri S. S. Mariswamy]

would be very feeble. He has made very many points and I am in total agreement with him in regard to proportional representation and also in regard to reduction of voting age, etc. If proportional representation had been in force in 1957, the Congress would not have come to power. So also in 1962 and 1967 they were in a minority, yet, they came to power. So, there must be some sort of an arrangement whereby every section or every shade of opinion is represented in the Government.

112 1

Sir, Mr. Prakash Vir Shastri has really given a very comprehensive Resolution and all the clauses are acceptable. There cannot be two opinions about any of these clauses, Sir. And I want to make one or two suggestions. From the time of filing the nomination and the day of the polling, there is a gap of one month or 30 days. Now, 30 days gap involves unnecessary expenses. If the candidates cannot afford to be in the field all the 30 days, naturally, as my friend, Mr. Bhupesh Gupta said they depend either on the party or certain individuals and then corruption starts. So, we must see that a gap of 15 days is allowed and not 30 days.

Sir, another thing is, my friend, Mr. Prakash Vir Shastri, was talking about the ballot papers, etc. He also mentioned about the Barpeta election. It is a good thing that when I read the Motherland, I found that a denial has come from the Rashtrapati Bhavan saving that our President had not made a trip to Assam for that Barpeta election. Another denial has also come from the same source that he had not participated in the Congress campaign. And it is really good that a denial has come. But there were so many rumours in spate. For example, the invitation cards printed for that campaign—which is now being called the writers' meet-carried the name of Mr. Jagjivan Ram and underneath was written, "The Chairman of the Congress Campaign Committee." And on that invitation, it appears that some people had gone and it is also accidental that our President has also . gone. I may be wrong and I am subject

to correction. But this is what I heard. And this is also really painful for me to see an explanation coming from the Rashtrapati Bhavan. People living there should not give any room for anybody to talk about the Rashtrapati Bhavan. With all reluctance, I am speaking here. I do not want to drag in the name of Rashtrapati. We must see that some sort of standard is maintained. In this connection, Sir, I do not know as to how many Members in this House have read a book written by Mr. B. Dinesh Chatteriee of Calcutta, who was Military Secretary of Rashtrapati а Bhavan for a number of years. He has written a book called, "Thousand Days with Rajaji". If you go through that book, you will see what kind of standard they were keeping there. They have behaved in a manner that did not allow their name to be dragged outside anywhere, at any time. That sort of standard they had maintained. They were afraid to mingle with people. They were afraid to utter even a word which will lead to some misunderstanding. They also kept away totally from party So. Sir, we must see that politics. Rashtrapati's name is not dragged in and for that we must be ready to offer our cooperation. In the same manner the other side must also observe certain norms and see that the names are not unnecessarily dragged in.

Sir, my friend was talking about the influence of money power. It is a fact about which all of us have to hang our head in shame that some big businesshouses are out to purchase the politicians and politicians are also out to get into the good books of the businesshouses. So, there is a mutual arrangements between the politicians and the business-houses. And. political our system and election system in the country also allows to them to have this sort of a thing because when a politician goes to a Minister, the Minister is amenable to his request and if the politician goes on behalf of a business-house, naturally, whatever the business-house wants, it is So, the business-houses done. catch hold of the politicians, about which you have heard so much. All these things are happening in the country. I need

not digress much on the point. We must keep a very alert eye on the money power is not only the internal money power, external money power is also involved and we have money power from the foreign countries also. It is a well known fact that foreign powers are also interested in our elections and they are also pouring in money. The Government should be very vigilant about it. I am quite sure Mr. Gokhale will be very vigilant because he does not talk much and that means that he means business, unlike Mr. Subramaniam who is noted for his loose talk. Mr. Gokhale does not talk at all. So, I have a high regard for him. In these days it is very difficult to get people who talk less and do more work. So, Sir, in that manner I want him to keep an alert eye on the external money coming into the country. It comes in so many different ways; it comes in the form of booklets, it comes in the form of imports, it comes in the form of translation work and in so many different ways and when it comes it plays a havoc. Then, there are parties which would not touch money from the business-houses but the same parties would receive money from foreign sources and if we compare the two, the latter is more dangerous than the former. After all, the former is an indigenous fellow, a businessman, he will not run away to this side or that side. But, if they receive foreign money, they are bartering away their freedom and everything to the foreign country. Of course, Sir, both of them are evils, but this is a lesser evil compared to the other one, namely, receiving foreign money. The Government should be very wary about this matter and see that this is not done.

Coming to the All India Radio, Sir, I may be failing in my duty if I do not speak about the All India Radio a little. I speake on behalf of Mr. Bhupesh Gupta also. He may agree with me on this matter.

Sir, it has really become a great menace to the freedom of the people. If we turn to the All India Radio from 6 o'clock onward upto 10 o'clock, I think we hear the news, very colourful

[21 MAR. 1975] misuse of Govt. machinery 190 in elections

news, or we hear the spotlight commentary and that also is very colourful. I am not worried whether my name is mentioned there or not: as a matter of fact, they are very colourful in not mentioning my name, our names, and that includes Mr. Bhupesh Gupta also. But whenever Bhupesh Gupta supports the Government, they give long paragraphs and that does not inspire me to follow that line. He does not do this for publicity.

SHRI BHUPESH GUPTA: Bhupesh Gupta's name is mentioned because I am in the opposition but you and your Vajpayee are given so much time.

(Interruption)

SHRI S. S. MARISWAMY: It has got a very good effect. So, I would rather say that for at least two monthslet them have the monopoly of the All India Radio for ten months-, at least for two months before the election, the time must be shared by all parties, i.e., each and every party should have some share. For example, if Bhupesh Gupta is allowed to discuss or give commentary about the manifesto of his party, he must be given half an a hour and the next half an hour may be given to Mr. Borooah and then let Mr. Borooah come and give his opinion or his commentary about the Congress manifesto. Mr. Bhupesh Gupta on this side and Mr. Borooah on the other side, that would be really interesting, Sir, and, people would know what is what. In the same manner, Mr. Rainarain would also be given an opportunity to discuss the manifesto of the B.L.D. In that way the last two months must be given to all parties and the monopoly of the single party, i.e., the ruling party, must be broken. If these things are done. viz., reduce the voting age from 21 to 18, reduce the gap by 15 days, ban the movement of vehicles, curb money-power. etc., I am quite sure that we will have fair elections. Also, proportional representation is very important and that should also be considered. Thank you.

SHRI VITHAL GADGIL (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, J

[Shri Vithal Gadgil]

am very happy that Mr. Prakash Vir Shastri has brought forward this Resolution. I agree with him that it should be discussed on a non-party level. From what little I know of Mr. Prakash Vir Shastri, he is not really a Jana Sangh man. His seat may be on that side, but his place is on this side really speaking. He is an adopted person. . .

SHRI BHUPESH GUPTA: Are you indulging in character assassination?

SHRI VITHAL GADGIL: No, no. I am paying him a compliment. He has raised a number of points and within the short time available to me I will not be able to speak on all the points. I shall mainly confine myself to two points, viz., election expenses and the system of voting. I shall try to be as non-partisan as possible, but before I go to these two points. . .

SHRI O. P. TYAGI : Why this 'as far as possible? . . .

SHRI VITHAL GADGIL: You are in politics and I am in politics. I am at least honest enough to admit it. Before I go to my two points, I would like briefly to mention the two points he has made. One is about the conduct of the Government servants. My experience also has been like that of Rajasthan. I was the member from born in a political family. From my childhood I have seen elections at least in Maharashtra. As far as Maharashtra is concerned, you will excuse me if I say something which may appear to be on the basis of caste. In Maharashtra the position is that most of the Government servants are Brahmins and traditionally Brahmins have been anti-Congress. Historically they are more with Sangh than with any other the Jana party. A RETAIL AND STATES ST ٢,

SHRI S. W. DHABE (Maharashtra) : RSS.

SHRI VITHAL GADGIL: You are right.

SHRI O. P. TYAGI (Uttar Pradesh): Previously it was wholly in the hands of Brahmins, but it is now in the hands of . non-Brahmins.

VITHAL SHRI GADGIL: Mv friend, Tyagiji, does not know what is said in Maharashtra. Humourously they say in Maharashtra: The Ministry is of Congress, the policy is of socialist party and the Government is of Jana Sangh. The almost entire lower civil servants are with the Jana Sangh. You do not know much about Maharashtra. Therefore, if there is any partiality, it is perhaps in favour of the other side rather than it be in favour of the Congress.

The second point he mentioned is about the promises that are being made just before elections. I find from my reading and experience that this is quite normal. In all democracies this is what is being done. Let us admit it. When Mr. Wilson goes on an election campaign, he makes certain announcements just on the eve of the election. Therefore, it is not unfair if we say before an election that we will do this thing and that thing. Since Mr. Shastri is a deeply religious man, he will appreciate it more if I narrate a Marathi proverb. Unfortunately I am not a religious man. In Maharashtra on a particular day, on the Shravana day. Brahmins eat what known as "Panchagavya" is which consists of cow dung. It is on a particular day. I think the same is the case in politics. If one candidate gives promises that is corrupt practice, but if the party gives promises that is a political manifesto. Just as, if one man eats cow dung it is cow dung, but if several Brahmins eat it on the Shravana day it is "Shravani". Therefore, there is nothing wrong in giving promises and saying to the people that if we are re-elected and put in power, we will do this and that. As far as this point is concerned, I am sorry I am not in agreement with Mr. Shastri.

Now, with regard to election expenses, what is the position?

SHRI RAJNARAIN: You do not know that.

Ű,

3

SHRI VITHAL GADGIL: I know ' very well. I was in charge of the 1f Maharashtra Congress election campaign in 1971-72. As I have said, right from my childhood as I come from a political family I have seen nothing else except district Congress committees and Therefore, I know much elections. about elections.

As far as election expenses are concerned, I think a very wrong picture is given and a false image is created as if thousands and crores of rupees are spent by several political parties. This is very unfair to political workers. lf you calculate the increase in the cost of petrol, the hire charges for the jeeps, the cost of posters and the requirements for the workers on the day of polling-1 think for the Lok Sabha you would hereafter require at least a lakh of rupees for legitimate expenses and for the Assembly you would require Rs. 35,000. Therefore, let us not say that the elections can be fought with a ftw rupees. Let us see the political reality. It is not as if the Congress alone is guilty, as if we are in the docks. And it is not as if on the other side their jeeps are running on water, that their political workers live on air and their posters fall from heaven for them. They also have to spend. Therefore, let us admit this political reality that the legitimate expenditure would be about a lakh of rupees for the Lok Sabha and about Rs. 35,000 for the Assembly.

Now, the question is, how do we raise these resources? I think there are only three ways. The three ways are these. The first way in which the political parties can raise this amount is by collection from the people. Now, this is all right in theory. Every political party says it. But the experience is that very little attempt is made to collect money from the people. Tyagiji may not like But my experience of one instance in Maharashtra is that a big Jana Sangh leader came to a provincial town, and it was announced that the collection was made from the people at the rate of Re. 1 each. and a sum of Rs. 1 lakh was presented. It was discovered later on that it was collected from a few 7-28 RSS(ND)/75

Therefore, let us admit that persons. this one rupee collection is not a practical proposition.

There are these only two ways left One is to collect funds from the companies and the other is, that the State should pay. As far as collections from the companies are concerned, it is true that there are certain dangers in it which Mr. Bhupesh Gupta has already pointed out. I may also cite some observations which were made. And these observations are made by Sir Frederic Pollock in his book 'Principles of Contract'. This is what he says about election expenses-

"Public and sound morality da therefore imperatively require that Courts should put the stamp of their disapprobation on every act and pronounce void every contract the ultimate or probable tendency of which would be to sully the purity or mislead the judgments of those to whom the high trust of legislation is confided."

The American Supreme Court has also observed that it is necessary to preserve the purity of elections against the use of aggregated wealth.

Now, these are all pronouncements which one will accept. But what is the experience? In England, in 1940 the Labour party brought a resolution that accounts of political parties should be checked, audited and supervised. What is the reality? Lord Woolton of the Conservative Party raised a huge sum of a million pounds as fund for fighting the election and what happened? No accounts were given by the Conservative Party or any other Party. In America, they passed what is known as the Taft Hartley Act in order to prohibit certain illegitimate expenditure by the political parties. Now, what is the experience in America? There was a Select Committee of the House of Representatives in 1949 and that Select Committee, known as the Buchanan Committee, had found as a fact that there had been a widespread evasion of this particular regulation.

Therefore, even in advanced democracies like England or America the

ł.

[Shri Vithal Gadgil]

experience is that political parties had avoided these regulations. That has been the experience of Germany and Japan also which are the more favoured countries of some parties. There also the experience has been that in spite of all the regulations and law, political parties do raise money which is not permissible by law. Therefore, let us see Ίf what can be done by companies. companies are allowed to donate to political parties, then there should be three restrictions. One is that they should be allowed only a particular amount. Secondly, the donation should be made public by publishing in the My third suggestion is balance sheet. that they should be allowed to contribute to political parties provided they contribute in proportion to the seats held by each party in the Lok Sabha. They should be compelled to give to all political parties, and not to one party alone, on the basis of seats held by each party in the Lok Sabha.

The other alternative, as I said, is by the State to provide grants or election expenses for political parties. If this measure is taken no party will have to rely on some rich persons, and to that extent the influence of capitalists or rich persons will be prevented. For that purpose I had stated in my Budget speech that political parties will require about Rs. 100 crores every year and this money can be collected from the people by an election tax. According to my calculation the incidence would not come to even 50 paise per capita per year. These resources can be raised by the States for purposes of financing the elections and the people of India will not grudge this small price for purity of public life and purity in elections

SHRI K. N. DHULAP (Maharashtra): There should be right of recall.

SHRI VITHAL GADGIL: I am not personally in favour of the right of recall because, in the first place, it is impractical in a country like India. 1 need not elaborate it. I will be giving only one illustration. Supposing there is

[RAJYA SABHA] misuse of Govt machinery 196 in elections

are three candidates and a thousand voters and the people vote in the fashion that one candidate gets 400 votes, the other gets 300 and the third also gets 300. Then the one who gets 400 votes will get elected. The other two candidates will come together and will claim that they represent 600 and will ask the first candidate to resign. Then two others will join and say that they represent 700.

SHRI BHUPESH GUPTA : Mr. Gadgil, you are a man of political wisdom. If you read this book you will find that it is for the legislature to lay down how the recall procedure should be adopted. It is not as if the two will join against the first and claim a recall, . .

VICE-CHAIRMAN THE (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR): Mr. Bhupesh Gupta, let him continue.

SHRI VITHAL GADGIL: I am saying that from the point of view of purely political theory. Their position is more logical than going to the electorate again and asking whether they should be recalled or not.

The second point concerns the question raised by Shastriji about the system of voting. He made reference to the list system. The assumption is that the present system is wrong. And why is it wrong? Because the Congress are getting 45 or 44 per cent, of the votes and is ruling the country. I will not argue but I would like to ask certain questions. The question is this. When in 1967 the S.V.D. governments were formed in the various States, the parties in the S.V.D. did not have more than 35 or 40 per cent. of the votes. But nobody at that time offered to resign since they did not represent the majority.

4

The second question I would ask is : What was the percentage of voting in 1971? The total votes polled were 55 per cent. Are we going to assume that 45 per cent. persons who did not vote are completely against the Congress? If the same proportion is with the Congress as those who voted then arithmetically it can be shown that more than 51 per cent of the people in this

[21 MAR, 1975]

country are with the Congress. Therefore, this arithmatics is false although it may appear to be very attractive. will invite your attention to another aspect which will clinch the point. I tried to analyse the figures of 1971 elections and what do we find? Out of 352 Congress Members in the Lok Sabha 262 won by more than 51 per cent. votes. Out of eight Congress (O) Members, only four were elected by a majority of votes. In the case of Jan Sangh, out of 21, only 10 were elected by more than 51 per cent of the votes. In the case of CPM, only 5 out of 25 were elected by a majority of the votes. In the case of the SSP, two out of three and in the case of the PSP, both the PSP Lok Sabha Members were elected by minority votes. Not only that, Mr. Kachwai, Mr. H. M. Patel, Mr. Dandawate, Mr. Samar Mukherjee and Mr. S. N. Mishra, all these leaders were elected by a minority of votes. Therefore, if they have the right to speak on behalf of the people, although in their own constituencies they have got less than 50 per cent of the votes, surely the Congress has an equal right to say that we represent the majority.

Then Mr. Bhupesh Gupta has advovated that we should adopt the system of proportional representation. Now, what is the experience? And the question is whether it is a practical proposition in a country where there is 80 pcr cent. illiteracy. I would only give him In the elections to the two figures. Maharashtra Legislative Council from the Graduates' constituency, there were 372 invalid votes. In the teachers' constituency, the invalid votes were 361 although the total vote was only about 10.000. . .

SHRI BHUPESH GUPTA : These are single transferable votes.

The sys-SHRI VITHAL GADGIL : tem is so complicated. . .

SHRI BHUPESH GUPTA : You are a very clever person. You have chosen the single transferable vote. Suppose it is the list system, the party symbol is there and the party preference is accepted. There is no difficulty.

misuse of Govt. machinery 198 in elections

GADGIL: SHRI VITHAL The system is so complicated that an average man in India will find it difficult to vote. Even in the Maharashtra Bar Council election, where lawyers vote, who are supposed to know the law, the invalid votes were 54. Therefore, it is too complicated. Sir, and we are not yet ripe for that system. Therefore, I am not in agreement with Mr. Bhupesh Gupta.

श्री राजनारायणः लायर्सने वोटं जान बूझकर गलत दिया था ।

SHRI VITHAL GADGIL: Yes, I think Mr. Rajnarain must have advised them.

SHRI BHUPESH GUPTA: Mr. Gadgil, suppose the list system is there. The list will show the symbol of the party. We say "vote for the list", this list or that list, not two lists. What is the difficulty? After the election, on the basis of the votes polled, seats will be distributed. He need not go and give his preference.

SHRI VITHAL GADGIL: There also if you do not have a list of candidates but a list of parties, then power will be concentrated in a few persons in the political party.

SHRI BHUPESH GUPTA: Again you are wrong. I do not know why a knowledgeable person like you. . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR): He is not agreeing with your point.

श्री राजनारायण : भूपेश जी अपनी जगह ५र ठीक हैं। भूपेश जी चाहते है कि डेमोकेसी में इंडिविजुअल के हाथ में ताकद नहीं देनी चाहिए ।

SHRI BHUPESH GUPTA: I am not saying that individuals should not be there.

SHRI VITHAL GADGIL: I say, the suggested system is full of complications. Even in the list system if you give the names of candidates, then also the question arises as to how people will vote. In Australia, for example,

197

[Shri Vithal Gadgil]

they give the names alphabetically. They call it the "donkey vote". The result is, the man whose name comes first in the alphabetical order gets elected. In such a situation, perhaps you will find that Mr. Advani wins and Mr. Subramaniam Swamy loses because people tend to vote for the first man. Therefore, let us not adopt a very complicated system. The present system, by and large, is good.

SHRI **RAJNARAIN**: is not It complicated.

SHRI BHUPESH GUPTA: Preference is determined by the party. Sir. I am now mentioning my last point.

The last point, Sir, is that our friends on that side do not know why the Congress wins. The Congress wins because it has an able leadership and it is an all-India organisation and it is a dedicated organisation. . .

DR. RAMKRIPAL SINHA : Able in what? Dedicated to what?

VISWANATHA SHRI MENON : Able in doing what?

SHRI VITHAL GADGIL : Therefore, Sir, instead of accepting this fact, they say that money has won. If we prove that money has not won, they say then that caste has won. If we prove that caste has not won, they say that threats have won. If we prove that threats have not won, then they say that the system is wrong and, if you prove that the system is right, they will say that the elections were not held in a proper atmosphere. Now, Sir, atmosphere is something for which you do not have any objective test. Therefore, Sir, let them organise themselves on a good programme, let them go to the people with a programme and then let them rule and we do not have any objection at all. But they should not find any excuses and then say that the system is wrong, that the elections were unfair, that money-power won and so on and so forth. All kinds of excuses of this nature are given and such excuses should not be given.

Sir, although I agree with Mr. Prakash Vir Shastri that the system requires a second look and a re-examination, personally I do not accept his major promise. Than, you, Sir.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Appropriation Bill, 1975

SECRETARY-GENERAL : Sir. I have to report to the House the following message from the Lok Sabha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Appropriation Bill, 1975, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 20th March, 1975.

The Speaker has certified that this Bill is a money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay the Bill on the Table.

RESOLUTION REGARDING STEPS TO CHECK THE EVER-INCREAS-ING USE OF MONEY POWER AND **MISUSE OF GOVERNMENT MACHI-NERY IN ELECTIONS**—Contd.

श्री महादेव प्रसाद वर्मा (बिहार) : उप-सभापति जी, यह चुनाव सम्बन्धी विधेयक पर विचार करने के पहले दो तीन जो आधारभुत चीजें है उनको अगर हम ध्यान में नहीं रखते हैं तो सारा हिसाब खराब हो जाएगा। आधार-भृत चीज यह है कि इस देश की जिन्दगी और मौत हमारे जनतंत्र की जिन्दगी और मौत के साथ नत्थी है। इसलिए इसके ऊपर विचार करने के लिए कभी हमको पार्टी और अपनी दलगत भावनाओं को रखना ही नहीं चाहिए जिसकी अपील प्रकाशवीर शास्त्री जी ने की है ।